क्रम संख्या–10

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 28 जनवरी, 2013 ई0

माघ 08, 1934 शक सम्वत्

### उत्तराखण्ड शासन

### विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 31/XXXVI(3)/2013/68(1)/2012

देहरादून, 28 जनवरी, 2013

### अधिसूचना

### विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 2012'** पर दिनांक 24 जनवरी, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 07 वर्ष, 2013 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

# उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012

**{उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 07 वर्ष 2013}**

उत्तराखण्ड राज्य में नदियों के बाढ़ मैदान, परिक्षेत्रण की व्यवस्था के लिए

## अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो :–

### अध्याय–एक

### प्रारम्भिक

**संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह धारा तुरन्त प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध उस तारीख से प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु यह कि विभिन्न नदियों और विभिन्न क्षेत्रों के लिए इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों हेतु भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

**परिभाषाएं**

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) **"बाढ़ मैदान"** में जल सरणी, बाढ़ सरणी और लगभग जब तक कि प्रसंग या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में नीची भूमि का वह क्षेत्र सम्मिलित है, जो जलप्लावन के कारण आने वाली बाढ़ के लिए सुग्राही हों;

(ख) **'बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण'** से किस नदी के बाढ़ मैदानों में जहाँ नदियों और जलधाराओं से जल के अधिप्लावन के कारण मैदान बन जाते हैं, मानव गतिविधियों पर प्रतिबन्ध अभिप्रेत है;

(ग) **'बाढ़ क्षेत्र'** से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिससे अधिकतम सम्भावित बाढ़ प्रवाह बहा ले जाना अपेक्षित है;

(घ) **'बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी'** से नदी के सम्बन्ध में धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) **'भूमि'** में भूमि के हित, भूमि से उत्पन्न फायदे या भूमि से संलग्न या भूमि से संलग्न किसी भी चीज के साथ स्थायी रूप से जकड़ी चीजों का समावेश है;

(च) **'अधिभोगी'** किसी भूमि के सम्बन्ध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका किसी भूमि में हित है और वह उस भूमि पर स्वयं खेती करता है, अपने सेवक या भाड़े के मजदूर से खेती करवाता है। इसमें काश्तकार भी शामिल है;

(छ) **'स्वामी'** से किसी भूमि के सम्बन्ध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका ऐसी भूमि में हित है;

(ज) **'विहित'** से राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(झ) **'नदी'** में उसकी सहायक नदियों का समावेश है;

(ञ) **'जल सरणी'** से ऐसी सरणी अभिप्रेत है, जिसमें साधारणतः नदी का प्रवाह परिरूद्ध रहता है।

## अध्याय–दो

## बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी तथा उसकी शक्तियाँ

**बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की घोषणा**

3. (1) जहाँ राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो वह सरकारी राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि ऐसी रीति से जो इस अधिनियम में आगे विनिर्दिष्ट की गई है, बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार निदेश दे सकेगी कि जिन सीमाओं के निर्धारण हेतु नदी का सर्वेक्षण किया जाय, उनके अन्तर्गत इस अधिनियम के उपबन्ध चार्ट और पंजियां (रजिस्टर) तैयार किये जायं, जिनमें समस्त सीमाएं, भूमि–चिन्ह और ऐसी सीमाएं अभिनिश्चित करने के प्रयोजन हेतु आवश्यक कोई अन्य विषय विनिर्दिष्ट किया जाय।

(3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जिले में जिलाधिकारी या सरकार के ऐसे अन्य प्राधिकारी को उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के प्रयोजनों के लिए बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी नियुक्त कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे, और ऐसी अधिसूचना में वह

उक्त प्राधिकारी द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कर्त्तव्य विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

**बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी की शक्तियाँ और कृत्य**

4. बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का निर्वहन धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों और निबन्धनों के अनुसार करेगा।

## अध्याय–तीन

## बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के सर्वेक्षण एवं चित्रण

**सर्वेक्षण**

5. (1) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, नदियों के बाढ़ मैदानों का सर्वेक्षण करेगा और नदियों के बाढ़ मैदानों के स्वरूप और सीमा का अवधारण करेगा।

(2) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन किये गये सर्वेक्षण के आधार पर बाढ़ मैदान परिक्षेत्रों की स्थापना करेगा और उन क्षेत्रों का आंकलन करेगा, जिसमें जनसाधारण के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्पत्ति की अभिरक्षा के आशय से बाढ़ मैदान के उपयोग के आपेक्षिक जोखिम के सन्दर्भ में भूमि के वर्गीकरण का भी समावेश होगा।

(3) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, उपधारा (2) के अधीन वर्णित क्षेत्र दर्शाते हुए चार्ट और पंजिकाएं तैयार करेगा।

**सर्वेक्षण की शक्ति**

6. बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी अथवा अन्य इस निमित्त सामान्य या विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के लिये यह विधि पूर्ण होगा कि वह–

(क) अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत किसी भी भूमि पर प्रवेश करे और उसका सर्वेक्षण कर और उसका स्तर नापे;

(ख) ऐसे स्तरों, सीमाओं और सीमा रेखाओं को चिन्ह अथवा सीमा पत्थर लगाकर चिन्हित करना;

(ग) भूमि नापना;

(घ) धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सीमाएं अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिये समस्त अन्य आवश्यक कार्य करना;

(ङ) जहाँ सर्वेक्षण और स्तर नापना अन्यथा पूर्ण नहीं किया जा सकता और किसी खड़ी फसल, बाड़ या जंगल को काटना या उसके किसी भाग को साफ करना विधि सम्मत होगा :

परन्तु यह कि भूमि के ऐसे अधिभोगी को कम से कम इस आशय का सात दिन का नोटिस दिए बगैर (अधिभोगी की इसके लिए सहमति के बिना) कोई बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी अथवा कोई अन्य अधिकारी या किसी निवास गृह से संलग्न, किसी भवन, किसी बगीचे या खुले या बन्द प्रांगण में प्रवेश नहीं करेगा।

**नुकसानी का संदाय**

7. (1) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी अथवा इस निमित्त सामान्य अथवा विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, जिसने धारा 5 के अधीन किसी भूमि पर प्रवेश किया है, उसे छोड़ने के पूर्व ऐसे किसी भी नुकसान के लिये जो कि भारित हुआ हो, ऐसी भूमि के स्वामी अथवा अधिभोगी को प्रतिकर देगा और इस प्रकार दी गयी राशि की पर्याप्तता के बारे में कोई विवाद होने की स्थिति में बाढ़ परिक्षेत्र प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मामला विनिश्चय हेतु राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा और उसे अपास्त या उपान्तरित कराने के लिये किसी सिविल न्यायालय में कोई भी वाद नहीं लाया जा सकेगा।

## अध्याय–चार

## बाढ़ मैदानों की परिसीमाओं की अधिसूचना

**बाढ़ मैदानों क्षेत्रों को चिन्हित करने के राज्य सरकार के आशय की घोषणा**

8. राज्य सरकार, बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बाढ़ मैदान क्षेत्रों को चिन्हित करने और उनमें भूमि के उपयोग को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी।

**सार्वजनिक सूचनाएं**

9. (1) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, धारा 8 के अधीन अधिसूचना जारी करने पर क्षेत्र के सुविधाजनक स्थानों पर ऐसी अधिसूचना का सारांश सार्वजनिक रूप से सूचित करेगा।

(2) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, क्षेत्र में स्थित भूमियों के स्वामियों को सूचनायें व्यष्टितः भी देगा।

(3) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, अभिलेख, चार्ट, नक्शे, पंजिकायें और अन्य

दस्तावेज, नदी सरणी/बाढ सरणी और बाढ़ मैदान दर्शाते हुए क्षेत्र का स्वरूप और जिस सीमा तक उसका उपयोग प्रतिषिद्ध अथवा प्रतिबन्धित है, विनिर्दिष्ट करते हुए विनिर्दिष्ट समयों पर आम जनता की जानकारी हेतु कार्यालय में प्रदर्शित करेगा।

आक्षेप

10. (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 9 में निर्दिष्ट सार्वजनिक सूचना में विनिर्दिष्ट परिसीमाओं के प्रतिबन्धों या निर्बन्धनों के प्रति आक्षेप करना चाहता हो, राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की कालावधि के भीतर अपने आक्षेप उपवर्णित करते हुए एक लिखित विवरण बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी को अग्रेषित कर सकेगा।

(2) उपरोक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी विहित रीति से नोटिस जारी करेगा और सम्बन्धित पक्ष को मामले की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर देने के पश्चात् आक्षेपों पर विचार करेगा।

(3) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, धारा 9 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के साथ उसके और अपने प्रस्ताव राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

राज्य सरकार का विनिश्चय

11. (1) राज्य सरकार, बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् क्षेत्र की परिसीमाओं में ऐसे परिवर्तन करने का आदेश देगी, जैसा वह आवश्यक समझे।

(2) राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित करेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध विनिर्दिष्ट सीमाओं परिसीमाओं सहित उक्त नदी पर लागू होंगे :

परन्तु यह कि नदी के भराव क्षेत्र में पूर्व से अवस्थित मानवीय बस्तियों को पुनर्वासित किए जाने की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(4) राज्य सरकार द्वारा अंकित और अनुमोदित क्षेत्र बाढ़ मैदान समझे जायेंगे और सीमाएं, जहाँ आवश्यक हो, सीमा के पत्थरों या अन्य उपयुक्त चिन्हों द्वारा चिन्हित की जायेंगी।

(5) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, इस प्रकार वर्णित ऐसे क्षेत्रों के मानचित्र और

पंजिकाएं रखेगा और ऐसे मानचित्र तथा पंजिकाएं कार्यालय के स्थायी अभिलेखों का भाग समझी जायेगी।

(6) उपधारा (5) के अधीन रखे गये मानचित्र और पंजिकाएं उस जिले के जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें नदी का कोई भाग स्थित है और ऐसे समय पर आम जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे, जैसा विहित किया जाये।

## अध्याय– पाँच

## बाढ़ मैदान के उपयोग का प्रतिषेध एवं निर्बन्धन

**बाढ़ मैदान में बाधा आदि के प्रतिषेध की शक्ति**

12. (1) जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सम्पत्ति के हित में या आम जनता की असुविधा को कम करने के हित में बाढ़ मैदानों में गतिविधियाँ प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करना आवश्यक है, वहाँ सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा वह क्षेत्र, जिसमें प्रतिषेद्ध या निर्बन्धन प्रवृत्त किया जाना है और ऐसे प्रतिषेध या निर्बन्धन का स्वरूप और सीमा विनिर्दिष्ट कर सकेगी :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई भी अधिसूचना, धारा 8 के अधीन जारी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छः मास की समाप्ति के पश्चात् जारी नहीं की जायेगी।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, रूढ़ि, करार अथवा लिखत में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रतिषेद्ध अथवा निर्बन्धन अभिभावी रहेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना निर्बन्धित अथवा प्रतिषिद्ध क्षेत्र में कोई गतिविधि आरम्भ नहीं करेगा :

परन्तु यह कि जब कोई व्यक्ति बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी को इस धारा के अधीन कोई गतिविधि आरम्भ करने के लिए अनुज्ञा के लिए आवेदन करता है और बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन की कालावधि के भीतर उक्त व्यक्ति को संसूचित नहीं करता है कि आवेदित अनुज्ञा अस्वीकृत कर दी गई है, वहाँ यह उपधारित किया जायेगा कि बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी ने उक्त अनुज्ञा दे दी है।

शास्ति

13. यदि कोई व्यक्ति धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों और शर्तों के प्रतिकूल कोई गतिविधि प्रारम्भ या कार्यान्वित करता है या करने कां प्रयत्न करता है तो वह :—

(क) जुर्माने से, जो पाँच सौ रूपये तक का हो सकेगा, या जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम होने पर साधारण क़ारावास से, जो दो मास तक हो सकेगा; और

(ख) खण्ड (क) के अधीन दोष सिद्ध के पश्चात उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक सौ रूपये तक का हो सकेगा।

अपराध शमन करने की शक्ति

14. (1) राज्य सरकार द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी ऐसी शर्तों के, जो कि विहित की जाये, अध्यधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियाँ संस्थित होने के पूर्व या पश्चात् उस व्यक्ति से, जिसने अपराध किया है या जिस पर कोई अपराध करने का युक्तियुक्त सन्देह है, एक हजार रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकार कर सकेगा।

(2) ऐसी धनराशि का संदाय कर दिये जाने पर ऐसे व्यक्ति को अपराध से उन्मोचित कर दिया जाएगा और ऐसे अपराध के संबंध में उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

अपील

15. (1) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई भी व्यक्ति उस तारीख से, जिसको उसे उक्त विनिश्चय की संसूचना दी गई थी, नब्बे दिन की कालावधि के भीतर उस प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किया जाये :

परन्तु यह कि यदि विहित प्राधिकारी को इस बात का समाधान हो जाये कि अपीलार्थी ससमय किसी कारणवश नहीं कर पाया था, अपील दाखिल तो वह नब्बे दिन की कालावधि की समाप्ति पर भी अपील पर विचार कर सकेगा।

(2) विहित प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझे और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

पुनरीक्षण

16. (1) जहां धारा 15 के अधीन कोई अपील नहीं की गयी है, वहां राज्य सरकार, बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी के किसी आदेश, जाँच या कार्यवाहियों की वैधता, औचित्य या शुद्धता के परीक्षण करने के प्रयोजनार्थ बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की जाँच या कार्यवाहियों का अभिलेख मंगा सकेगी और मामले में ऐसा आदेश पारित कर सकेगी, जो वह उचित समझे :

परन्तु यह कि ऐसे आदेश की तारीख से छः मास समाप्त हो जाने के पश्चात् ऐसा कोई अभिलेख नहीं मंगाया जायेगा।

(2) राज्य सरकार, बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी के किसी भी आदेश में किसी भी व्यक्ति को मामले में सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, जिससे किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

## अध्याय– छः

## प्रतिकर

प्रतिकर का संदाय

17. (1) जहाँ किसी भी व्यक्ति को बाढ़ मैदान में कोई कार्यकलाप हाथ में लेने की अनुज्ञा देने से इन्कार कर दिया गया हो या जहाँ इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति पर अधिरोपित, प्रतिषेद्ध या निर्बन्धन के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को कोई नुकसान होता हो तो वहाँ वह ऐसे प्रतिकर के संदाय का हकदार होगा, जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 01 वर्ष 1894) की धारा 23 एवं 24 के अधीन अवधारित भूमि के मूल्य और उस मूल्य के बीच के अन्तर से अधिक नहीं होगा, जो कि उसे उस तिथि में मिलता कि जब किसी कार्यकलाप के क्रियान्वयन की अनुज्ञा मिल गई होती या जब निर्बन्धन अथवा प्रतिषेद्ध अधिरोपित नहीं किया गया होता।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर की धनराशि का अवधारण करने में ऐसे किसी भी निर्बन्धन पर विचार किया जायेगा, जिसके कि अध्यधीन वह भूमि, प्रतिकर का दावा करने वाले व्यक्ति के, उस भूमि पर कोई भी कार्य करने या उस भूमि के अन्यथा उपयोग के, अधिकार के सम्बन्ध में, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन है।

**सहमति से प्रतिकर और प्रभाजन का अवधारण**

18. (1) जिस व्यक्ति को धारा 17 के अधीन प्रतिकर संदत्त किया जाना है तथा ऐसी धनराशि का प्रभाजन, जिसमें व्यक्ति हितबद्ध है, उसका निर्धारण प्रतिकर में हितबद्धता का दावा करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के बीच बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी द्वारा, करार द्वारा अवधारित किया जायेगा।

(2) ऐसे किसी करार के अभाव में, बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, ऐसी जाँच जो वह आवश्यक समझे :—

(क) धारा 17 के अधीन दिये जाने वाले प्रतिकर की राशि;

(ख) प्रतिकर का ऐसे व्यक्तियों में, जिनका उसमें हितलाभ होने की जानकारी अथवा विश्वास किया जाता है, प्रभाजन अवधारण कर, अधिनिर्णय (अवार्ड) देगा :

परन्तु यह कि जहाँ प्रतिकर की राशि दस हजार रूपये से अधिक हो, वहाँ राज्य सरकार या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई अवार्ड नहीं किया जायेगा।

**प्रतिकर का ग्राह्य नहीं होना**

19. (1) कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा, यदि :—

(क) जहाँ तक भूमि उस तारीख को जिस दिन इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन निर्बन्धन अधिरोपित किये गये थे, प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रवृत्त सारतः वैसे ही निर्बन्धनों के अध्यधीन है; या

(ख) यदि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पूर्णतः समान निर्बन्धनों के सम्बन्ध में दावेदार या उसके पूर्वाधिकारी, जिसका दावे में हितबद्धता है, भूमि के सम्बन्ध में प्रतिकर का पहले ही संदाय कर दिया गया है;

(ग) किसी भी अतिक्रमण को हटाने के लिए।

(2) यदि किसी व्यक्ति ने अनधिकृत रूप से कोई गतिविधि आरम्भ की गयी है तो ऐसी गतिविधि से भूमि के मूल्य में वृद्धि पर भूमि के मूल्य का आंकलन करते समय विचार नहीं किया जायेगा।

**अधिनिर्णय (अवार्ड) के विरूद्ध आवेदन**

20. (1) धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी के अवार्ड से व्यथित कोई भी व्यक्ति, लिखित आवेदन द्वारा राज्य सरकार अथवा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार, इस निमित्त प्राधिकृत करे, आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन ऐसे प्ररूप में और रीति से, जो विहित की जाये और अवार्ड की संसूचना प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिन के अन्दर किया जायेगा।

(3) इस धारा के अधीन किये गये आवेदन का निपटारा ऐसी रीति से किया जायेगा, जो विहित की जाये।

**धारा 20 के अधीन आवेदन पत्रों पर निर्णय लेने की प्रकिया और प्राधिकारियों की शक्तियाँ**

21. (1) धारा 20 के अधीन आवेदन को सिविल प्रकिया संहिता, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 05 वर्ष 1908) की धारा 141 के अर्थान्तर्गत कार्यवाहियाँ समझा जायेगा और उसका विचारण करने में निर्देश विनिश्चय करने के लिये सशक्त प्राधिकारी सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।

(2) जाँच का क्षेत्र राज्य सरकार अथवा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य ऐसे अधिकारी को विनिर्दिष्ट मामले पर विचार करने तक ही सीमित रहेगा।

**विनिश्चय का सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप पर प्रवर्तनीय होना**

22. धारा 21 के अधीन निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में प्रवर्तनीय होगा।

**अधिनिर्णय के अधीन संदाय**

23. धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अवधारित प्रतिकर अथवा धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन अभिनिर्णय दे दिये जाने पर या ऐसे अभिनिर्णय के विरूद्ध धारा 20 के अधीन कोई आवेदन किया जाता है तो प्राधिकारी के विनिश्चय के पश्चात् बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर का संदाय किया जायेगा और ऐसे संदाय पर भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 01, वर्ष 1894) की धारा 31 से 35 के उपबन्ध लागू होंगे।

## अध्याय– सात

## प्रतिषेद्ध के पश्चात् बाधाएं हटाने की शक्ति

**प्रतिषेद्ध के पश्चात् बाधाएं हटाने की शक्ति**

24. (1) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन भूमि के किसी स्वामी अथवा अधिभोगी को कोई कार्य करने या अनधिकृत अवरोध हटाने का ऐसे समय के अन्दर जैसे विनिर्दिष्ट किया जाय, निदेश दे सकता है और भूमि का स्वामी अथवा अधिभोगी ऐसा कार्य करेगा और

अवरोध हटायेगा।

(2) यदि स्वामी या अधिभोगी, उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के अन्दर बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी के आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी वह कार्य करवा सकेगा और अवरोध हटवा सकेगा।

(3) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन किया गया समस्त व्यय ऐसे स्वामी अथवा अधिभोगी से भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा जायेगा।

## अध्याय– आठ

## विविध

**बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी को कोई कार्य करने से रोकना अपराध होगा**

25. कोई भी व्यक्ति बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी का इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन ऐसे प्राधिकारी पर अधिरोपित किसी कार्य का निर्वहन करने से रोकता है, उसके लिये यह समझा जायेगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 45 वर्ष 1860) की धारा 186 के अधीन अपराध किया है।

**बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना**

26. बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी और इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारी, अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 45 वर्ष 1860) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

**सद्भाव से कार्यवाही का संरक्षण**

27. (1) कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, जो ऐसे किसी भी बात के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियम अथवा आदेश के अनुश्रवण में सद्भावपूर्वक की गयी हो, या की जानी आशयित हो, राज्य सरकार ऐसे किसी प्राधिकारी अथवा व्यक्ति के विरूद्ध नहीं हो सकेगी, जो इस अधिनियम के अधीन किसी भी शक्ति का प्रयोग या किसी भी कर्तव्य का पालन कर रहा हो।

(2) ~~कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसी किसी वाद के लिए कारित~~ या कारित होने के लिए सम्भाव्य किसी नुकसान के कारण राज्य सरकार के विरूद्ध नहीं हो सकेगी, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये

गये किसी भी नियम या आदेश के अनुश्रवण में सद्भावपूर्वक की गयी हो, या की जानी आशयित हो।

**जुर्माने की वसूली** 28. इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित सभी जुर्माने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 2 वर्ष 1974) में उपबंधित रीति से वसूल किये जायेंगे।

**न्यायालय की शक्ति** 29. सिविल न्यायालय को किसी प्रश्न के निस्तारण, विनिश्चित करने या उस पर कार्यवाही करने की अधिकारिता होगी, जिसे इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, निस्तारित, विनिश्चित किया जाना या जिस पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**नियम बनाने की शक्ति** 30. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन हेतु राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशेष रूप से पूर्वोक्त उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित उपबंध किए जा सकेंगे :–

**(क)** वह रीति, जिससे चार्ट और अभिलेख रखे जायेंगे;

**(ख)** वह प्ररूप और रीति जिससे धारा 20 के अधीन आवेदन किया जायेगा और वह रीति, जिससे ऐसे आवेदनों का निस्तारण किया जायेगा; तथा

**(ग)** कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना हो या किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया जाने वाला प्रत्येक नियम बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र 14 दिन की कुल अवधि के एक या दो या अनुवर्ती सत्रों में हो, प्रस्तुत किया जायेगा तथा उपरोक्त सत्र या अनुवर्ती सत्र के तुरन्त कि नियम न बनाया जाय तो तत्पश्चात् यथास्थिति नियम ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या निष्प्रभावित हो जायेगा तथापि ऐसे किसी उपान्तरण या बातिलकरण का इस नियम के अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हो। बाद के सत्रों के अवसान से पूर्व यदि सदन उक्त नियम में कोई उपान्तरण के लिये सहमत हो जाता है तथा सदन सहमत हो जाता है।

**निरसन और अपवाद** 31. (1) उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अध्यादेश, 2012 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

**डी0 पी0 गैरोला,**
**प्रमुख सचिव।**

No. 31/XXXVI(3)/2013/68(1)/2012
*Dated Dehradun, January 28, 2013*

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012'** (Adhiniyam Sankhya 07 of 2013).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 24 January, 2013.